**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3227**

**सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)**

**खनन दुर्घटना**

**3227. डॉ. संजीव कुमार सिंगरी:**
**श्री संजय सेठ:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष में खानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उन दुर्घटनाओं में हुई मौतों और घायल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान देश में दर्ज की गई खनन दुर्घटनाओं की दर क्या है, सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने खानों में आग से होने वाली उक्त दुर्घटनाओं एवं अन्य खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त संरक्षा एवं सुरक्षा प्रणालियां तैयार की हैं/प्रदान की हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में विभिन्न खानों में अग्नि सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(ङ) खान कामगारों की सुरक्षा के लिए खानों में अंतर्राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु सरकार ने क्या विभिन्न कदम उठाए हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान देश में खानों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए कितनी निधि आवंटित, संवितरित एवं व्यय की गई है?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**
**(श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) और (ख): खान प्रबंधन द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमेस) को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई खनन दुर्घटनाओं, मृत्युओं और घायल व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| **वर्ष** | **घातक दुर्घटनाओं की संख्या** | **गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या** | **मृत्युओं की संख्या** | **घाटल व्यक्तियों की संख्या** |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 98 | 423 | 107 | 454 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 99 | 337 | 103 | 367 |
| 2016 | 106 | 305 | 144 | 326 |
| 2017 | 102 | 204 | 129 | 231 |
| 2018 | 97 | 215 | 116 | 241 |
| 2019* | 81 | 113 | 93 | 130 |

*वर्ष 2019 के डेटा अनंतिम हैं तथा 31.10.2019 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं।

(ग): पिछले दो वर्षों के दौरान देश में रिकार्ड दर्ज प्रति एक हजार कर्मचारी खनन दुर्घटनाओं की दर निम्नानुसार है:

| वर्ष | घातक दुर्घटनाओं की दर | गंभीर दुर्घटनाओं की दर |
|---|---|---|
| 2017 | 0.1811 | 0.3623 |
| 2018 | 0.1723 | 0.3818 |

देश की खानों में सुरक्षा और कुशलता बढ़ाने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(1) सुरक्षा प्राचलों का मूल्यांकन करने के लिए डीजीएमएस के अधिकारियों द्वारा खानों का निरीक्षण किया जाता है तथा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

- उल्लंघनों पर ध्यान दिलाना
- अनुमति वापस लेना
- सुधार हेतु नोटिस जारी करना
- नियोजन की निषेध
- अनौपचारिक रोक
- न्यायालय में अभियोजन

(2) कोयला खानों में अत्यधिक जोखिमपूर्ण दशाओं में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(i) खानों में सुरक्षा जागरुकता को प्रोत्साहित और प्रसारित करने के लिए, डीजीएमएस द्वार राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान), सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। खान कामगारों की सुरक्षा में बढ़ोतरी करने के लिए खानों में सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलनों की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है।

(ii) सुरक्षा के प्रशिक्षण के माध्यम से तथा सुरक्षा सप्ताह मनाने और सुरक्षा अभियान, आदि चलाने जैसी पहलों द्वारा सुरक्षा के मामलों में कामगारों की भागीदारी और संवेदीकरण सुनिश्चित किया जाता है।

(iii) खानों में सुरक्षा मानकों में सुधार करने हेतु प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के बीच सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(iv) जोखिमों को दूर करने और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर लक्षित जोखिम मूल्यांकन तकनीकों का सूत्रपात करना और सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करना।

(v) खानों में असुरक्षित कार्यप्रणाली से बचने के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि लागू करना।

(vi) समय-समय पर डीजीएमएस के परिपत्र, पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा प्रचालनों हेतु दिशा-निर्देशों के रूप में जारी किए जाते हैं।

(घ) और (ङ): सरकार ने कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 134-142, धात्विक खान विनियम, 1961 के विनियम 119-123 तथा तेल खान विनियम, 2017 के विनियम 97-101 के अंतर्गत क्रमश: कोयला, धात्विक और तेल खानों की आग से संबंधित सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए उपबंध बनाए हैं। खान मालिकों/प्रबंधन द्वारा खानों में उपर्युक्त उपबंधों के अनुपालन की जांच, डीजीएमएस के अधिकारियों द्वारा खानों में किए गए नियमित निरीक्षणों के दौरान की जाती है।

उपर्युक्त उपबंधों के अलावा, जोखिम विश्लेषण आधारित "सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली/योजना (एमएसपी)" के माध्यम से खतरों पर ध्यान देने तथा खानों में आपात-स्थितियों से निपटने के लिए डीजीएमएस द्वारा निम्नलिखित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो अन्य बातों के बीच, आग के खतरे के लिए भी बहुत अधिक संगत हैं:

i. डीजीएमएस (तकनीकी)(एसएण्डटी) 2002 का परिपत्र सं. 13 जिसका शीर्षक है "सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली - कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश";

ii. डीजीएमएस (तकनीकी)(एसएण्डटी) 2011 का परिपत्र सं. 02 जिसका शीर्षक है "सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली - लेखा-परीक्षा एवं समीक्षा हेतु उपबंध";

iii. डीजीएमएस (तकनीकी)(एसएण्डटी) 2016 का परिपत्र सं. 5 जिसका शीर्षक है "कोयला और धात्विक खानों के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना के विकास हेतु एकीकृत पद्धति"; तथा

iv. डीजीएमएस (तकनीकी)(एसएण्डटी) 2016 का परिपत्र सं. 8 जिसका शीर्षक है "भारतीय कोयसला एवं धातु खानों के लिए आपातकालीन प्रबंधन योजना"।

"सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" की अग्रसक्रिय पद्धति वास्तविक समस्या पर ध्यान दिलाकर खान प्रबंधन को साइट विशिष्ट खतरों पर ध्यान देने के समर्थ बनाती है, जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार है। इसके अलावा, "आपातकालीन तत्परता एवं प्रतिक्रिया योजना" की संकल्पना आपातकाल की स्थिति में जीवन और सम्पत्ति को बचाने में लगने वाले प्रतिक्रिया समय में कमी करने की सुविधा देती है।

(च): देश में सुरक्षा और अभिरक्षा के संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अलग-से किसी निधि का आवंटन नहीं किया जाता है। खानों में सुरक्षा और अभिरक्षा कायम करने का दायित्व खान मालिक/प्रबंधन का होता है। तथापि, डीजीएमएस के अधिकारियों द्वारा खानों में नियमित निरीक्षण और जांच की जाती है।